न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाडा(राज)

पीठासीन अधिकारी: रजनी माधीवाल

प्रकरण संख्या–06 / 2014

उनवान मुकदमा

1. श्री धुलिया पिता श्री थावरा के वारिसान

1.1 पन्नालाल पुत्र धुलिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।

1.2 प्रभूलाल पुत्र धलिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।

वादीगण

वनाम

1. मृतक श्री कचरा पिता श्री धुलीया जाति भील निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
2. मृतक रतन श्री धुलीया जाती भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।

1.1 लक्ष्मण पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।

1.2 हरीश पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।

1.3 रमेश पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।

1.4 फुलसिंह पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।

3. श्रीमती केसर पुत्री श्री धुलीया जाती भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
4. श्रीमती सतुरी श्री धुलीया जाती भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
5. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय बांसवाडा जिला बांसवाडा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त में वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के पैतृक खाता संख्या संवत्

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

2032 से 2035 खाता 19 (नया), 27 (पुराना) के सर्वे नम्बर के कुल खेत 12 कुल रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, कुल लगान रूपया 7.75 पैसा वाके ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है । उक्त खाता वादी के पिता थावरा वल्द मनजी के देहवसान होने के बाद वादी व उसके भाई हुका, गलबा, जवरा, कालु के नाम नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.02.1977 के द्वारा खाते में बहैसियत विरासत के खातेदारी में दर्ज हुआ वादी व उसके भाई हुका, गलबा, जवरा, कालु के मध्य विभाजन होकर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 02.05.1979 के द्वारा वादी के हिस्से में प्राप्त हुऐ वादग्रस्त भूमि खाता नम्बर 27 (नया) ,19 (पुराना) संवत् 2036 से 2039 कुल खेत 05,कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल लगान 2.19 पैसा खसरा नंबर 66/1, 104/1, 219, 230/1, 240 में कुल खेत 05 कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल लगान रूपया 2.19 पैसा वाके ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा राज. में स्थित की कृषि भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं लगान भी अदा करता चला आ रहा है वादग्रस्त खसरा नम्बरान पर वादी का हक हित व हिस्सा है। वाद कारण वादी वादग्रस्त भूमि पर नवम्बर 2013 को वादी कृषि कर रहा था कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 अनाधिकृत रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रवेश कर मॉ–बहन की बुरी–बुरी गालीया देने लगे तथा कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में हमारा नाम दर्ज है, इसलिए वादग्रस्त भूमि में आप व आपके परिवार को खेती नही करने देगें जबकि वादग्रस्त भूमि मेरे पैतृक खातेदारी की होकर मेरा व मेरे भाई विरासती अधिकार होकर हमारे खाते में दर्ज है ,वादी ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्धी राजस्व नकलों की प्रतिलिपी तहसील बांसवाडा से प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते में गैरकानूनी व गलती से प्रतिवादीगण के पिता धुलीया पिता श्री बाबरा के देहवसान होने पर नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 19.06. 1984 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 नाम गलत प्रविष्ठिया कर दी है। जिन्हे राजस्व रेकार्ड में उक्त शुद्वि कर वादी को खातेदार कृषक घोष्ति करने हेतु धारा 88 ,209 आर.टी.एक्ट के तहत वाद लाना पडा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अनाधिकृत रूप से प्रवेश न होवे तथा वादी को शांति पूर्वक काश्त में बाधा व रूकावट उत्पन्न न करे न किसी से करावे की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाने साथ ही सभी नामान्तरकरण विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगणों को दिनांक 04.02.2014 को सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगणों की और से अभिभाषक श्री मणीलाल यादव व अर्जुन मकवाना का वकालत नाम पेश होने पर न्यायालय द्वारा जवाब चाहा गया प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 फौत हो जाने से इनके वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने प्रतिवादी संख्या 3 व 5 का जवाब के साथ वारिसान की कायमी व संशोधित शीर्षक दिनांक 26.03.2015 को पेश हुआ वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण 1/1 से लगायत 5 तक की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया वाद पत्र की चरण संख्या 1 के तथ्य असत्य होकर अस्वीकार वादी साबित करें। साथ ही सर्वे नम्बरान 66, 97, 104, 117, 208, 219, 230, 239, 240, 311/241, 312/241, एवं 323/241 कुल खेत 12 कुल रकबा 16–11 बीघा वाके राजस्व ग्राम मोतीरा तहसील बांसवाडा में स्थित होना साबित करें । उक्त खाता वादी के पिता थावरा वल्द मनजी के देहावसान के बाद वादी व उसके भाई हुआ गलबा, जवरा, कालु के

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

नाम विरासत नामान्तरण संख्या 72 दिनांक 10.02.1979 के द्वारा वादी के हिस्से में वाद ग्रस्त कृषि भूमि प्राप्त होना अस्वीकार है। खाता नंबर 27 नया 19 पुराना के खसरा नंबरान 66/1, 104/1 219, 230/1 एवं 240 कुल खेत 5 कुल रकबा 3–13 बीघा वाके राजस्व ग्राम मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा हो वादग्रस्त खेतो पर वादी का कोई हक, कब्जा या स्वामित्व नही है । उक्त खसरा नम्बर 66/1, 104/1, 219, 230/1 एवं 240 कुल खेत 5 कुल रकबा 3–13 बीघा वाके राजस्व ग्राम मोतीरा में स्थित भूमि पर प्रतिवादीगण अपने बाप दादा के समय से लगातार एवं निरन्तर काबिज होकर कमाते चलें आ रहे है एवं मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होकर कमाते है । उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्व उनके बाप दादा के नाम से दर्ज खाते रही है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर कमाते चले आ रहे है । वाद पत्र की चरण संख्या 3 असत्य होकर स्वीकार है प्रतिवादीगण के पूर्वज धुलीया के देहान्त के बाद उनके वारीसान कचरा पिता धुलिया ,श्रीमती रतन बेवा धुलिया, केसर, जीवी, सतुरी पुत्री धुलिया भीलान के नाम से विरासत नामान्तरकरण नंबर 107 दिनांक 19.06.1984 को विधिवत तरीके से किया गया है । एवं उक्त नामान्तरकरण नंबर 107 का वादी को पूर्ण ज्ञान रहा है परन्तु वादी ने तब भी ना तो इस नामान्तकरण को चूनौती दी और ना ही कोई आपत्ति की वादीगण की चरण संख्या 1, 2, 3, 5, 9 अस्वीकार है । चरण संख्या 6 से 8 कानुनी है । साथ ही चरण संख्या 10, 11 में जवाब की आवश्यकता नही वादी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्त करने हेतु वादी का खातेदार होना आवश्यक है जबकि वादी न तो पूर्व में कभी खातेदार रहा है। और ना वर्तमान में खातेदार है और ना वादी का मौके पर भौतिक कब्जा काश्त है। वादी ने 31 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद वाद पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही देरी का कारण भी नही बताया है एवं वादी के पास वाद पत्र लाने का ठोस आधार भी नही है वादी ने मिथ्या तथ्यो पर वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है ।

पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यवादी पर नियत की गयी। वादी की साक्ष्य करवाई गई वादी ने अपनी साक्ष्य पीडल्यू–1 श्री धुलिया पिता श्री थावरा स्वय शपथ–पत्र, एवं नीमा पत्नी अर्जुन, अर्जुन पिता मांगीलाल, राजेश पिता धनजी, धुला पिता भेमा के शपथ पत्र पेश हुये। जो शामिल मिसल है। जिरह वादी धुलिया पिता श्री थावरा से हो जाने पर जिरह प्रतिवादी बंद की गयी एवं वादी ने स्वयं अपनी साक्ष्यवादी बंद करवाई गयी।

वादी धुलिया की मृत्यु हो जाने पर उनके वारीसान ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वारीसान को रिकार्ड पर लिया गया।

वादग्रस्त भुमि का तहसीलदार बांसवाडा से मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थीगण धुलजी पिता थावरा एवं अप्रार्थीगण कचरा के वारिसान की उपस्थिति में व मौके पर उपस्थित पंचान द्वारा बताया गया कि उपरोक्त विवादित भूमि पर धुलिया पिता थावरा का ही कब्जा है तथा कई वर्षो से धुलिया पिता थावरा ही काश्त कर फसल कमा रहा है। वर्तमान में मौके पर पहले धुलिया पिता थावरा एवं अप्रार्थीगण दोनों द्वारा जुताई करने से विवाद हो रहा है । पंचान के रूबरू मौका पर्चा तैयार किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वाद पत्र के अभिवचनो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के पैतृक खाता संख्या संवत् 2032 से 2035 खाता 19 (नया), 27 (पुराना) के सर्वे नम्बर के कुल खेत 12 कुल रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, उक्त खाता वादी के पिता थावरा वल्द मनजी के देहवसान होने के बाद वादी व उसके भाई हुका, गलबा, जवरा, कालु के नाम नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.02.1977 के द्वारा खाते में वहैसियत विरासत के खातेदारी में दर्ज हुआ वादी व उसके भाई हुका, गलबा, जवरा, कालु के मध्य विभाजन होकर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 02.05.1979 के द्वारा वादी के हिस्से में प्राप्त हुऐ वादग्रस्त भूमि खाता नम्बर 27 (नया) ,19 (पुराना) संवत् 2036 से 2039 कुल खेत 05,कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 66/1, 104/1, 219, 230/1, 240 में कुल खेत 05 कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित कृषि भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं लगान भी अदा करता चला आ रहा है वादग्रस्त खसरा नम्बरान पर वादी का हक हित व हिस्सा है उक्त खाते की भूमि सहवन से राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी जिसे सुधार कर उक्त वादग्रस्त कर भूमि का खातेदार कृषक वादी को घोषित किये जाने की डिक्री जारी करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर गहन अध्धयन किया तथा बहस पर गौर किया पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों एवं तनकी का विवेचन किया। सम्पूर्ण गहन मनन करने के बाद मेने पाया कि वादग्रस्त्र भूमि वादी की पैतृक है। प्रतिवादी 1 से 5 को बिना किसी प्रबल आदेश के सहवन से धुलिया पिता श्री थावरा की कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई । मौके पर वादी का प्रारम्भ से ही कब्जा है। वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है व सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में पाए जाने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वादी को वादग्रस्त भूमि खाता नम्बर 27 (नया) ,19 (पुराना) संवत् 2036 से 2039 कुल खेत 05,कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 66/1, 104/1, 219, 230/1, 240 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांसवाडा को आदेशित किया जाता उक्त वादग्रस्त खाते की भूमि में सहवन से दर्ज प्रविष्टियों को दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुवलिग शून्य बावत् शून्य खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालान आज की तारीख वसूलयावी तक शून्य का अदा करे ।

अदा वसव्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के जारी की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को सारे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(रजनी माथुर)
बांसवाडा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, **मुकाम** : बांसवाडा व **इजलास** : रजनी माधीवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2024

उनवान मुकदमा

1. श्री धुलिया पिता श्री थावरा के वारिसान
   - 1.1 पन्नालाल पुत्र धुलिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
   - 1.2 प्रभूलाल पुत्र धलिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।

वादीगण

वनाम

1. मृतक श्री कचरा पिता श्री धुलीया जाति भील निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
2. मृतक रतन श्री धुलीया जाती भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
   - 1.1 लक्ष्मण पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।
   - 1.2 हरीश पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।
   - 1.3 रमेश पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।
   - 1.4 फुलसिंह पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा, तहसील व जिला बांसवाडा।
3. श्रीमती केसर पुत्री श्री धुलीया जाती भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा।
4. श्रीमती सतुरी श्री धुलीया जाती भील उम्र वयस्क निवासी मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा। (राज)
5. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय बांसवाडा जिला बांसवाडा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राज. का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 28.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजरी वकील वादी श्री मुकेश द्विवेदी पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वादी का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मोतीरा तहसील व जिला बांसवाडा को वादग्रस्त भूमि खाता नम्बर 27 (नया) ,19 (पुराना) संवत् 2036 से 2039 कुल खेत 05,कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 66/1, 104/1, 219, 230/1, 240 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस आशय कर डिक्री जारी होकर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, बांसवाडा को भिजवाई जाती है।

नोज **शून्य** मुवलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह **शून्य** प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक **शून्य** का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)
रजनी माधीवाल

उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा

Scanned with CamScanner